

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

कलवान आदि

बनाम

जामनारायण

दावा बाबत :- 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :- 311/2021

निर्णय दिनांक :- 22-10-2021

वादी की ओर से वकील पुनमचन्द वर्मा की व प्रतिवादी सं० 1 की ओर से वकील अशोक कुमार वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मीजा मिश्री के खाता सं० 720/320 के मु० न० 238 के किला न० 23, 24, 25, मु० न० 258 के किला न० 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 के मु० न० 27 के किला न० 19/1, 20, 21, 22/1, मु० न० 35 के किला न० 1, 2/1, 3/1, 10, 11, 12/1 कुल 1463 हे० वारानी खातेदार/कृषि भूमि प्रतिवादी सं० के नाम पर है जो से वादी/गण व प्रतिवादी सं० को किराया करार के खातेदार लक्ष्यकार घोषित किया जाते हैं यदि कृषि भूमि किसी व्यक्ति के खेव होती रहने/मुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रियास में अमूल परामर्श किया जावे/राजीनामा को दिनी का मांग पडा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-10-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) 2021  
 भादरा, जिला हनुमानगढ़